राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2344/2025

इनायत अली खान

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक (कृषि) विस्तार, जिला परिषद कोटा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 02.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से मुख्यालय रामसर, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बाडमेर में किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी ने पूर्व में उपरोक्त आलोच्य आदेश को इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या–81/2025 में चुनौती दी थी, जिसमें अधिकरण ने आदेश दिनांक 16.01.2025 पारित कर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये गये थे कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश पारित कर निस्तारित करें। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया था, जिसे प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 19.03.2025 के द्वारा निस्तारित किया है और अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया है। उनका आगे कथन है

कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को निरस्त नहीं कर अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज किये जाने में प्रत्यर्थी विभाग ने त्रुटि की है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील में जो आधार उठाये गये थे, उन्हीं आधारों पर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है। पूर्व अपील में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया जा चुका है, जिसमें अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष